संख्या–708 / 49–3–2011–100(12) / 2001

प्रेषक,

संजय अग्रवाल,
प्रमुख सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

प्रधान महालेखाकार,
(लेखा एवं हकदारी)प्रथम, उ0प्र0,
जमा राज्य अनुभाग, इलाहाबाद।

सहकारिता अनुभाग–3 लखनऊ : दिनॉक : 8 जून, 2011.

विषयः– उ0प्र0सहकारी विधायन एवं शीतगृह संघ लि0,लखनऊ (पैक्सफेड) के नाम से खुले वैयक्तिक लेखा खाता सम्बंधी शासनादेश में संशोधन ।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा दिनांक 6–5–2009 को पारित आदेश के कम में पैक्सफेड मल्टीस्टेट को–आपरेटिव सोसायटी एक्ट के अन्तर्गत आ जाने के कारण दिनांक 28–6–2009 को पैकफेड के सामान्य निकाय की विशेष बैठक में लिये गये निर्णय के अनुसार पैक्सफेड की समस्त पूंजी एवं दायित्व पैकफेड में हस्तांतरित हो गये है। इस सम्बन्ध में वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग–8 द्वारा निर्गत शासनादेश संख्या–ई–8–836 / दस–2009, दिनांक 08 जुलाई, 2009 (प्रति संलग्न) द्वारा **उ0प्र0 सहकारी विधायन एवं शीतगृह संघ लि0, लखनऊ** (पैक्सफेड) के स्थान पर **उ0प्र0 विधायन एवं निर्माण सहकारी संघ लि0 लखनऊ** (पैकफेड) पढ़े जाने का शासनादेश भी निर्गत किया जा चुका है। अतः अब उक्त वैयक्तिक लेखा खाता का संचालन करने सम्बन्धी शासनादेश संख्या –2854 / 49–3–2001, दिनांक 21–7–2001 में निम्नवत् आंशिक संशोधन किया जाता है:–

सम्बन्धित संस्था का नाम ''***उ0प्र0 सहकारी विधायन एवं शीतगृह संघ लि0, लखनऊ (पैक्सफेड)*** के नाम के स्थान पर ***उ0प्र0 विधायन एवं निर्माण सहकारी संघ लि0लखनऊ (पैकफेड)***'' पढ़ा जायेगा।

2– इस सम्बन्ध में उक्त शासनादेश संख्या– 2854 / 49–3–2001, दिनांक 21–7–2001 इस सीमा तक संशोधित समझा जायेगा।

3– यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या–एफ–ए–1–231 / / दस–11, दिनांकः 02–6–2011 द्वारा प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

संलग्नक–यथोपरि।

भवदीय,

(संजय अग्रवाल)
प्रमुख सचिव।

पृष्ठांकन संख्या–708(1)/49–3–2011, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, कोषागार, लखनऊ।
2– महालेखाकार,उ0प्र0(लेखा एवं हकदारी) प्रथम, जमा/राज्य अनुभाग, इलाहाबाद।
3– निबन्धक,सहकारी समितियॉ,उ0प्र0,लखनऊ।
4– प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0विधायन एवं निर्माण सहकारी संघ लि0 (पैकफेड) लखनऊ के पत्रांक 12454/क्यू0एफ0/लेखा–05/04(XI) दिनांक 21–3–2011 के संदर्भ में।
5– विशेष सचिव, चिकित्सा अनुभाग–7,उ0प्र0शासन।
6– वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग–3
7– वित्त (लेखा) अनुभाग–1
8– प्रबन्ध निदेशक,उ0प्र0जल निगम, लखनऊ।
9– निदेशक, कोषागार, उ0प्र0लखनऊ।
10– निदेशक, सम्भागीय लेखा,उ0प्र0 लखनऊ।
11– वेब मास्टर, कार्यालय निबन्धक,सहकारी समितियॉ,उ0प्र0,लखनऊ।
12– गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(राकेश कुमार)
उप सचिव।